

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-8
संख्या- 2303(1)/9-8-2012-15(रिट)/12
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2012

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

22404
3 मई

प्रदेश के अन्तर्गत संचालित पशुवधशालाओं में अवैध रूप से हो रहे पशुवध को रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-2303/9-8-2012-15(रिट)/2012 दिनांक 22 अगस्त, 2012 की प्रति समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/नगर आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

2— इस सम्बन्ध में उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत शासनादेश को समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से ई-मेल एवं हार्ड कॉपी के माध्यम से परिचालित करना सुनिश्चित कराते हुए कृतकार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,
(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव

प्रेषक

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम, उ0प्र0
5. समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ::

दिनांक 22 अगस्त, 2012

विषय: प्रदेश के अन्तर्गत संचालित पशुवधशालाओं में अवैधरूप से हो रहे पशुवध को रोके जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उ0प्र0 के कतिपय स्थानीय नागर निकायों द्वारा संचालित पशुवधशालाओं तथा अन्य पशुवधशालाओं में पशुओं का अवैध रूप से पशुवधशालाओं में निर्धारित पशुवध संख्या से अधिक कटान किया जा रहा है तथा दुधारू पशुओं के कटान की भी शिकायतें आ रही है। पशुओं को पशुवधशाला तक पहुँचाने में उनके प्रति कूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तथा पशुवध के पूर्व एन्टीमार्टम तथा पशुवध के उपरान्त पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। पंजीकृत एवं गैरपंजीकृत पशुवधशालाओं में पशुकूरता रोकथाम (पशुवधशाला) नियम-2001 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण पशुओं के प्रति कूरता की घटनायें बढ़ रही हैं एवं अवैध पशुवध से पर्यावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है।

2— उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में निम्न दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

- (अ)– प्रदेश के समस्त नागर निकायों में अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से बन्द कराये जाने की कार्यवाही की जाय। दुधारू पशुओं का पशुवध रोका जाय तथा इसमें लिप्त पाये गये दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।
- (ब)– प्रदेश में संचालित पशुवधशालाओं में पशुओं का वध, पशुकूरता रोकथाम (पशुवधशाला) नियम-2001 में वर्णित प्राविधानों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय तथा सभी पशुवधशालाओं में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि पशुवधशाला के पूरे परिसर का 24 घंटे सभी दृश्य नियमित रूप से रिकार्ड हो सके, जिससे यह पता चल सके कि कितने पशु वधशाला में आये, कितने पशुओं पर पशुचिकित्साधिकारी की मुहर लगी, उन पशुओं का स्वास्थ्य कैसा था तथा पशुवधशाला हेतु अनुमन्य लाइसेंस की सीमा से अधिक पशु न काटे जा सके ताकि पशुवधशाला में हो रहे अवैध कटान पर पूर्ण रोक लग सके एवं पशुवधशाला में पशुओं के प्रति हो रहे फूरतापूर्ण व्यवहार को पूर्णतः रोका जा सके तथा पर्यावरण प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सके।
- (स)– प्रदेश में अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं एवं अवैध रूप से हो रहे पशुकटान पर पूर्णतः रोकथाम हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर एक समिति गठित कर सम्बन्धित विभागों के साथ मासिक बैठक आयोजित कर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।
- (द)– पशुवधशालाओं में पशुवध से पूर्व एन्टीमार्टम तथा पशुवध के उपरान्त पोस्टमार्टम किये जाने की प्रभावी व्यवस्था की जाय।
- (य)– स्थानीय नागर निकाय अपनी पशुवधशाला तथा अनुज्ञापि प्राप्त वधशालाओं का नियमित निरीक्षण करें तथा अपने कांजी हाउस की समुचित निगरानी करें ताकि पंजीकृत / गैरपंजीकृत पशुवधशालाओं में दुधारू पशुओं का पशुवध न हो सके।
- (र)– पशुवधशाला के संचालन के दौरान जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल

प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के विषय में समय—समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शिका का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- (ल) पशुवधशाला द्वारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु पूर्ण व्यवस्थायें स्थापित की जायें एवं प्रक्रिया से जनित ठोस अपशिष्ट के समुचित निस्तारण हेतु अनुमन्य व्यवस्थायें स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि पशुवधशाला से जनित उत्प्रवाह/उत्सर्जन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- (व) स्थानीय नागर निकायों द्वारा नई पशुवधशालाओं की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र/अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने के समय जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम—1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम—1981, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण के विषय में समय—समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शिका का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- ३— कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

४

संख्या 2303/9-8-12, तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- १— प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 - २— समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
 - ३— सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
 - ४— कम्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(यशवर्मा राव)
विशेष सचिव।

५